**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 953**

**22.12.2017 को दिया जाने वाला उत्‍तर**

**रेलगाड़ियों और प्लेटफॉर्म पर परोसा गया भोजन**

**953. श्री अनुभव मोहंतीः**

**श्री के॰ रहमान खानः**

**क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या यह सच है कि सी ए जी ने अपने प्रतिवेदन में यह कहा है कि रेल खान-पान प्रबंध इकाई द्वारा रेलगाड़ियों और प्लेटफॉर्म पर परोसा गया भोजन मानव उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है;

(ख) रेल खान-पान प्रबंध इकाई द्वारा रेलगाड़ियों एवं स्टेशनों पर परोसे जाने वाले खाने की गुणवत्ता में खराबी के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यात्रियों को परोसे जाने से पूर्व खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता नियंत्रण की जांच की जाती है?

**उत्‍तर**

**रेल मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री राजेन गोहांई)**

(क) और (ख): जी हां भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने ‘’भारतीय रेल में खानपान सेवाएं’’ के संबंध में दिनांक 21.07.2017 को 2017 की अपनी रिपोर्ट सं. 13 में भारतीय रेल पर यात्रियों को मुहैया कराई जा रही खानपान सेवाओं में खामियों को उजागर किया है।

भारतीय रेलवे ने यात्रियों को गुणवत्‍तापरक और स्‍वास्‍थ्‍यकर भोजन मुहैया कराने के अपने प्रयास में संस्‍थागत तंत्र को विकसित और परिचालित किया है, जिसमें विभिन्‍न स्‍तरों पर नियमित निरीक्षणों के जरिए खानपान सेवाओं की गुणवत्‍ता और स्‍वास्‍थ्‍यप्रदता पर निगरानी रखी जाएगी ताकि खानपान संबंधी शिकायतों का समाधान किया जा सके। इसके अलावा, गाड़ियों में यात्रियों को मुहैया कराए जा रहे भोजन के स्‍तर में सुधार लाने के लिए, 27 फरवरी 2017 को नई खानपान नीति जारी की गई है, जिसमें अन्‍य बातों के साथ-साथ इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) को भोजन तैयार करने और भोजन वितरित करने के बीच प्रमुख रूप से विभेद करके गाड़ियों में खानपान सेवाओं का विकेंद्रीकरण करने का आदेश दिया गया है। खानपान सेवाओं की गुणवत्‍ता को अपग्रेड करने के उद्देश्‍य से, आईआरसीटीसी नई किचनों की स्‍थापना करेगा और मौजूदा किचनों को अपग्रेड करेगा। इसके अतिरिक्त प्रायोगिक परियोजना के तौर पर, 01.08.2017 से आईआरसीटीसी के प्रबंधन में 32 राजधानी/शताब्दी/दूरांतो गाड़ियों में 180 दिन की आरंभिक अवधि के लिए ऐच्छिक खानपान सेवा की व्यवस्था करने के बारे में अनुदेश जारी किए गए हैं। यात्रियों को परोसे जा रहे भोजन की अच्‍छी गुणवत्‍ता और स्‍वास्‍थ्‍यप्रदता सुनिश्‍चित करने के लिए उठाए गए कदमों में, अन्‍य बातों के साथ-साथ शामिल हैं: (i) स्‍टेशन आधारित ई-केटरिंग व्यवस्था चरणबद्ध ढंग से शुरूआत की गई है, ताकि यात्रियों को अपनी पसंद का भोजन आर्डर देने के लिए व्यापक विकल्प उपलब्ध हों (ii) यात्रियों के लिए उपलब्ध विकल्पों में पहले से तैयार भोजन (‘रेडी टू ईट’ भोजन) की शुरूआत करना। (iii) यात्रियों की खान-पान से संबंधित शिकायतों का तत्काल समाधान करने और यात्रियों को समय पर सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्रीकृत खानपान सेवा निगरानी सैल (सीएसएमसी) (टोल फ्री नं. 1800-111-321) का परिचालन करना (iv) सेवाओं में खामियां पाए जाने के मामले में शास्‍तियां लगाना (v) रेल उपयोगकर्त्‍ताओं के लिए भोजन और खानपान सेवाओं से संबंधित शिकायतों/सुझावों को दर्ज कराने के लिए अखिल भारतीय हेल्प लाइन (नं. 138) का परिचालन करना। (vi) खानपान सेवाओं के संबंध में शिकायतों/सुझावों का निपटान करने के लिए @IRCATERING एड्रेस के साथ एक ट्विटर हैंडल भी परिचालित किया गया है। (vii) यात्रियों को परोसे जाने वाले भोजन की खराब गुणवत्ता और अधिक प्रभार वसूलने के संबंध में जीरो टॉलरेंस की नीति का अनुपालन किया जा रहा है और मौजूदा वित्त वर्ष (अर्थात् अप्रैल से अक्टूबर 17 तक) के दौरान खानपान सेवाओं अथवा ठेकागत खामियों के लिए 12 खानपान ठेकों को रद्द कर दिया गया है।

(ग) जी हां। खानपान नीति 2017 के अनुसार, राजधानी/शताब्‍दी/दूरांतों और अन्‍य मेल/ एक्‍सप्रेस गाडि़यों पर आईआरसीटीसी के पर्यवेक्षकों द्वारा नियमित आधार पर निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा, आईआरसीटीसी द्वारा आतंरिक और एनएबीएल (राष्‍ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्‍यायन बोर्ड) अनुमोदित प्रयोगशालाओं के माध्‍यम से आहार के नमूनों की नियमित सूक्ष्‍मजैविक जांच की जा रही है। थर्ड पार्टी लेखा परीक्षकों द्वारा बेस किचनों और गाडि़यों में नियमित रूप से खाद्य संरक्षा और स्‍वच्‍छता संबंधी ऑडिट किए जा रहे हैं।

\*\*\*\*\*